भारत सरकार
गृह मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 3859
दिनांक 11 अगस्त, 2026 / 20 श्रावण, 1948 (शक) को उत्तर के लिए

राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (एनडीआरएफ) के अग्नि दुर्घटनाओं संबंधी दिशा-निर्देश

†3859. श्री ईश्वरस्वामी के.:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत पांच वर्षों के दौरान ऊंची वाणिज्यिक और आवासीय इमारतों में हुई प्रमुख अग्नि दुर्घटनाओं का राज्य-वार और वर्ष-वार ब्यौरा क्या है तथा प्रत्येक मामले में हुई मौतों और घायलों की संख्या कितनी है;

(ख) क्या राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने ऊंची इमारतों में अग्नि दुर्घटनाओं को रोकने और कम करने के लिए कोई दिशा-निर्देश, परामर्श या मानक संचालन प्रक्रियाएं (एसओपी) जारी या अद्यतन किए हैं और यदि हां, तो उक्त अवधि के दौरान राज्यों तथा संघ राज्यक्षेत्रों द्वारा उनके कार्यान्वयन की स्थिति का ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार का अग्नि दुर्घटनाओं के आकलन, खोज एवं बचाव कार्य तथा वास्तविक समय की स्थितिजन्य जागरूकता के लिए प्रतिक्रिया समय को कम करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (एनडीआरएफ) को ड्रोन तथा अन्य उन्नत प्रौद्योगिकियों से सुसज्जित करने का प्रस्ताव है और यदि हाँ, तो कार्यान्वयन की समय-सीमा सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री नित्यानंद राय)

(क): भारत के संविधान की बारहवीं अनुसूची के अनुच्छेद 243 (डब्ल्यू) के अनुसार अग्निशमन सेवा नगरपालिकाओं से संबंधित विषय है, जो राज्य सरकारों के अधिकार क्षेत्र में आता है। अग्नि दुर्घटनाओं से संबंधित आँकड़ों का संग्रहण, संकलन एवं रखरखाव, जिसमें अधिभोग-वार, भवन-वार तथा राज्य-वार अग्नि

लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3859, दिनांक 11.08.2026

दुर्घटनाओं, मृतकों एवं घायलों के आँकड़े शामिल हैं, मुख्यतः संबंधित राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है। केंद्र सरकार, गृह मंत्रालय के अधीन महानिदेशालय (अग्निशमन सेवा, नागरिक सुरक्षा एवं होमगार्ड) के माध्यम से अग्नि सुरक्षा एवं अग्निशमन सेवाओं से संबंधित मामलों में परामर्शदात्री एवं मददगार की भूमिका निभाती है।

(ख): राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) ने वर्ष 2012 में "अग्निशमन सेवाओं की स्केलिंग, उपकरणों के प्रकार एवं प्रशिक्षण संबंधी दिशा-निर्देश" जारी किए हैं, जिनमें बहुमंजिला इमारतों में अग्नि दुर्घटनाओं की रोकथाम एवं उन्हें कम करने हेतु आवश्यक उपायों का उल्लेख किया गया है। ये दिशा-निर्देश आवश्यक कार्रवाई के लिए सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को प्रेषित किए गए हैं।

(ग): अग्निशमन सेवाएँ राज्य का विषय होने के कारण राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल (एनडीआरएफ) का प्राथमिक दायित्व अग्नि दुर्घटनाओं से निपटना नहीं है। अग्नि दुर्घटनाओं से निपटने की मुख्य जिम्मेदारी संबंधित राज्यों के अग्निशमन सेवा कर्मियों की होती है। किन्तु आवश्यकतानुसार एनडीआरएफ राज्य सरकारों एवं म्युनिसिपल ऑथोरिटी को मदद प्रदान करते हैं।
